(83)

मान. न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक – /2017 पुनर्विलोकन PBR/पुनर्विलोकन/आगर मालवा/भू.रा/2017/2637

वल्लभदास आत्मज मोहनलाल लड्ढा व अन्य चार –– याचिकाकर्ता/आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर महोदय,
आगर मालवा म.प्र. –– अनावेदक

प्रार्थना पत्र वास्ते रिव्यू अन्तर्गत धारा 51 म.प्र.भू.रा.सं.

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्मानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत है :–

यह कि, आवेदक की ओर से माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1893/पीबीआर/2016 में पारित आदेश दिनांक 13–7–2017 का पुनः रिव्यू किये जाने बाबत।

1. यह कि, प्रार्थी की ओर से उपरोक्त आवेदन पत्र माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–7–2017 की जानकारी माननीय न्यायालय का केम्प उज्जैन मुख्यालय पर दिनांक 19–7–2017 को हुई।

2. यह कि प्रार्थी ने आदेश की जानकारी होने पर नेट से आदेश की प्रति प्राप्त की व आदेश पढ़ने से प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का विवरण आदेश में नहीं आ पाया। क्योंकि प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में उज्जैन नियत केम्प में मौखिक बहस की थी व लिखित में बहस प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया था परन्तु प्रार्थी के अभिभाषक ने नियत समयावधि में लिखित बहस तैयार कर ग्वालियर में अपने छोटे भाई के पास रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई। उनके द्वारा नियत समयावधि में उक्त लिखित बहस श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके। इस कारण आदेश को पढ़ने से प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि प्रकरण में लिखित बहस सम्मिट नही हो पाई।

3. यह कि, प्रार्थी के अभिभाषक ने जब आदेश की प्रति पढ़ी तो ज्ञात हुआ कि उनके द्वारा बहस में प्रकरण से संबंधित जो मुद्दे उठाये गये थे उनका हवाला नहीं आया है। इस कारण प्रार्थी पुनः इस रिव्यू आवेदन के माध्यम

...2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/पुनर्विलोकन/आगर मालवा/भू.रा./2017/2637 जिला आगर मालवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–9–2017	आवेदक की ओर से श्री के0के0द्विवेदी अधिवक्ता एवं अनावेदक शासन की ओर से श्री आर0पी0पालीवाल पेनल लॉयर उपस्थित । आवेदक द्वारा रिव्यु की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 13–7–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 1893–पीबीआर/2016 में पारित आदेश दिनांक 13–7–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण अभिलेख में ऐसी कोई साक्ष्य अथवा बात का उल्लेख नहीं किया गया है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी, और न ही अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि ही दर्शाई गई है। इस न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रकिया को त्रुटिपूर्ण ठहराने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है। अतः यह पुनर्विलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	